न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 14/2022

1. जयकरण पुत्र श्री झुथाराम उम्र 47 वर्ष, जाति जाट, निवासी घरड़ाना कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. रामसिंह पुत्र श्री झुथाराम उम्र 49 वर्ष, जाति जाट, निवासी घरड़ाना कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

–अपीलान्ट–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट्स–

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2022 बअदालत उप तहसीलदार सिंघाना बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम जयकरण वगैरह मुकदमा संख्या 311/2022 अ. धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महिपाल कपूरिया............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 21.2.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 659/287 के रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम घरड़ाना कलां तहसील बुहाना में अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अ.धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त की है। उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 24.11.2021 को प्रकरण में विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया है। जिसके खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.21 16:57:59 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर कर रखी है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 11.03.2022 को उक्त रास्ते की भूमि की यथास्थिति को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार शीर्ष अदालत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त विवादित रास्ते की भूमि नही मानकर खेत की भूमि मानकर यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार से योग्य अदालत मातहत उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 पूर्व में उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश के बाद पारित किया है जिसकी क्रियान्विति अन्य आदेश तक अन्तर्गत सेक्शन 10 सी.पी.सी काबिले स्थगित है क्योंकि एक ही मामले को लेकर दो मामले विभिन्न अदालतों में एक साथ नही चल सकते है, तथा उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी, पंचायत समिति सिंघाना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू के पारित उक्त आदेश दिनांक 24.11.2021 इस मौजूदा अपीलाधीन आदेश के पूर्व का पारित आदेश होने के कारण अन्तर्गत सेक्शन 11 सी.पी.सी. के तहत मौजूदा अपीलाधीन आदेश रेस्जुडिकेटा की तारीफ में आने कारण इसकी कार्यवाही अब आयन्दा सेक्शन 11 सी.पी.सी के तहत बार्ड है। इसलिए जब तक उक्त आदेश दिनांक 24.11.2021 उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2021 की कार्यवाही का निस्तारण नही हो जाता है तब तक मौजुदा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही काबिले स्थगित है इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 को निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण में विवादित भूमि खातेदारी भूमि है। जिसमें भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 लागू नही होती है। योग्य अदालत मातहत ने प्रकरण में विवादित भूमि में खड़ी अपीलान्ट की सरसों की फसल को जब्त किया है जबकि खातेदारी की भूमि में काश्त फसल जब्त नही की जाकर उस फसल को कुर्क जाना चाहिए था। इसके अलावा योग्य अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर भी प्रदान नही किया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 659/287 के रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम घरड़ाना कलां तहसील बुहाना में अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट को श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अ.धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया है जो कि गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.21 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त की है। उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 24.11.2021 को प्रकरण में विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया है। जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर कर रखी है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 11.03.2022 को उक्त रास्ते की भूमि की यथास्थिति को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार शीर्ष अदालत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त विवादित रास्ते की भूमि नही मानकर खेत की भूमि मानकर यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार से योग्य अदालत मातहत उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 पूर्व में उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश के बाद पारित किया है जिसकी क्रियान्विति अन्य आदेश तक अन्तर्गत सेक्शन 10 सी.पी.सी काबिले स्थगित है क्योंकि एक ही मामले को लेकर दो मामले विभिन्न अदालतों में एक साथ नही चल सकते है, तथा उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी, पंचायत समिति सिंघाना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू के पारित उक्त आदेश दिनांक 24.11.2021 इस मौजूदा अपीलाधीन आदेश के पूर्व का पारित आदेश होने के कारण अन्तर्गत सेक्शन 11 सी.पी.सी. के तहत मौजूदा अपीलाधीन आदेश रेस्जुडिकेटा की तारीफ में आने कारण इसकी कार्यवाही अब आयन्दा सेक्शन 11 सी.पी.सी के तहत बार्ड है। इसलिए जब तक उक्त आदेश दिनांक 24.11.2021 उपखण्ड अधिकारी कम शिविर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2021 की कार्यवाही का निस्तारण नही हो जाता है तब तक मौजुदा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही काबिले स्थगित है इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 को निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण में विवादित भूमि खातेदारी भूमि है। जिसमें भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 लागू नही होती है। योग्य अदालत मातहत ने प्रकरण में विवादित भूमि में खड़ी अपीलान्ट की सरसों की फसल को जब्त किया है जबकि खातेदारी की भूमि में काश्त फसल जब्त नही की जाकर उस फसल को कुर्क जाना चाहिए था। इसके अलावा योग्य अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर भी प्रदान नही किया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.21 16:57:59 IST
Reason: Self Attested

ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है तथा पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी की प्रतिलिपि में प्रकरण में अपीलाधीन भूमि गैर मुमकिन रास्ता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को पारित निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट ने अपील मेमों में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2022 की कार्यवाही पर स्थगन होना बताया है। लेकिन दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह साबित होता हो कि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन हो या प्रकरण में विवादित भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 मुकदमा संख्या 311/2022 उनवानी सरकार बनाम जयकरण वगैरह अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रित कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २१.२.२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.21 16:57:59 IST
Reason: SelfAttested